न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.सोनी**

आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस-त्रिशूल,समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज,अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइगं मिल्स कमपाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025 जरिये प्राधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर		1.शंकर लाल राय पुत्र चेताराम निवासी-कषि फार्म, गांव-चूरा, वाया-बागरा, तहसील व जिला-जालोर-343001 अन्य पता 134, मेघवालों का बास, चूरा, तहसील व जिला-जालोर-343001 ऋणी 2.संगीता देवी पत्नि शंकर लाल राय निवासी-कषि फार्म, गांव-चूरा, वाया-बागरा, तहसील व जिला-जालोर-343001 अन्य पता 134, मेघवालों का बास, चूरा, तहसील व जिला-जालोर-343001 सहऋणी

विविध प्रकरण संख्या 12/2017

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

अधिवक्ता:-

1-श्री दिलीप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:-22.01.2018

1- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

2- प्रार्थी बैंक ने निवेदन किया कि अप्रार्थी/ऋणीगण को कुल रुपये 1030069/- (रू दस लाख तीस हजार उन्हत्तर) ऋण सुविधा जरिये ऋण अनुबंध सं LPR005701148484 दिनांक 17/Oct/14 को उपलब्ध करायी गयी थी व अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज मे खसरा नं- 2188, 2189 व 2341, न्यू रामदेव कॉलोनी, जालोर क्षेत्रफल 850 वर्गफीट को बंधक रखा था। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को फाईनेन्स कम्पनी के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाता को एन पी ए घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के ऋण खातें में रु. 1059069/-(रू दस लाख उन्नसट हजार उन्हत्तर) दिनांक 23-Jan-17 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे काब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को ''एक्ट'' की धारा 13 (2) के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 24/Jan/17 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न ही बंधकशुदा संम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी फाईनेन्स कम्पनी को दिया गया।

ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि रु 1059069/- (रू.दस लाख उन्नसट हजार उन्हत्तर) दिनांक 23.Jan-17 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाने के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा के अर्न्तगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय न्यायालय के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबधित डाक्यूमेन्टस कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिये एवं प्रतिभूत आस्तियों के सूचारु रुप से विक्रय एवं अन्तरण (नीलामी) हेतु बैंक सिक्योरिटीज का विवरण निम्नानुसार है:-खसरा नं-2188, 2189 व 2341, न्यू रामदेव कॉलोनी, जालोर क्षेत्रफल 850 वर्गफीट, पूर्व में रास्ता 18 फीट, पश्चिम में मकान भँवर लाल, उत्तर में लाजवंती पत्नि भरत सिंह साइड 50 फीट, दक्षिण में राना राम पुत्र चमनाराम 50 फीट बैंक की सूचना के अनुसार उक्त बन्धक सम्पत्ति स्थित है।

प्रार्थना पत्र मे वर्णित सम्पति का कब्जा व संबंधित डाक्यूमेन्टस का कब्जा प्रार्थी को उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिभूति अस्तियो के सुचारू रूप से विक्रय एवं अन्तरण हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान करावे।

3- पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से रूपये 1030069/- (रू दस लाख तीस हजार उन्हत्तर) का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये ऑडिनेन्स की धारा 13(2) के तहत् 24.01.2017 को समस्त प्रतिवादियो को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में रूपये 1059069/-अक्षरे दस लाख उनसठ हजार उन्हत्तर रूपये मात्र) जिसमें दिनांक 23.01.2017 तक का ब्याज सम्मिलित हैं। प्रतिवादियो ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बावजुद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है, का नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं। जो इस प्रकार है:-(1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा।

(2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक,जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपतियो, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर